अनुदान संख्या 17 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 17–DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*94,00*		*1,25,00*	*1,12,28*	*–12,72*
पूरक	*Supplementary*	*31,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*12,04*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	54023,78,00		60143,60,00	59917,99,36	–225,60,64
पूरक	Supplementary	6119,82,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					223,87,66
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	749,55,00		901,89,00	901,76,33	–12,67
पूरक	Supplementary	152,34,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					18,84

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*12.72 लाख रु.*) मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए *31.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 41प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 10 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*Rs.12.72 lakhs*) constituted 41 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.31.00 lakhs* obtained in March, 2010 and 10 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3456" सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies				
मू.	*O.*	*94.00*			
पू.	*S.*	*31.00*	*112.96*	*112.28*	*–0.68*
पु.	*R.*	*–12.04*			

(I) "अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण संबंधी स्कीम" के अंतर्गत *94.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *31.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *125.00 लाख रु.* कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों के न भरे जाने, छुट्टी यात्रा रियायत और यात्रा भत्ते के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम दावे प्राप्त होने के कारण *12.72 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Other Expenditure – Scheme relating to Strengthening Public Distribution System" – the original *appropriation* of *Rs.94.00 lakhs* was augmented to *Rs.125.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.31.00 lakhs* which, however, remained unutilized to the extent of *Rs.12.72 lakhs* - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards leave travel concession and travelling allowance and receipt of less claims from States/Union Territories.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण और भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	5392437.00			
पू.	S.	611982.00	5985334.94	5985195.79	–139.15
पु.	R.	–19084.06			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1289.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–1289.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3456" सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies				
मू.	O.	3111.00	1910.89	1909.89	–1.00
पु.	R.	–1200.11			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1770.00	1309.86	1309.86	. .
पु.	R.	–460.14			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र. की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	720.00	283.13	280.00	–3.13
पु.	R.	–436.87			

(I) 18742.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 18628.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य" -

(क) "खाद्य आर्थिक सहायता - टीपीडीएस के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की सुपुर्दगी के आधार पर स्मार्ट कार्ड लागू किए जाने संबंधी प्रायोगिक स्कीम कार्यान्वित किए जाने के लिए राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को आर्थिक सहायता" - 14228.00 लाख रु. हरियाणा और चंडीगढ़ में स्कीम लागू किए जाने में धीमी प्रगति होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.18742.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.18628.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2408" – "Food" –

(a) "Food Subsidies - Subsidy to State Government and UTs Administration for implementation of a Pilot scheme on introduction of Smart Card based delivery of essential commodities under TPDS" – Rs.14228.00 lakhs - due to slow progress in implementation of the scheme in Haryana and Chandigarh.

(ख) ''अन्य व्यय - नाबार्ड के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को ब्याज संसहायिकी'' - 3111.00 लाख रु. कुछ राज्य सरकारों द्वारा गारंटियां प्रस्तुत न किए जाने की वजह से सहकारी मिलों के लिए वित्तीय पैकेज को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''भंडारण तथा भांडागार - अन्य व्यय - राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण'' - 406.00 लाख रु.;

(ख) ''सिविल पूर्ति - अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण संबंधी स्कीम'' - 173.00 लाख रु.; और

(ग) ''सिविल पूर्ति - अन्य व्यय - खाद्यान्न प्रबंधन में मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण'' - 710.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2408'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''खाद्य'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - चीनी निदेशालय'' - 128.68 लाख रु. की बचत (506.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure - Interest Subvention to Cooperative Sugar Mills through NABARD" – Rs.3111.00 lakhs - due to delay in finalisation of financial package for the co-operative mills owing to non-furnishing of guarantees by some State Governments.

(B) Major Head "2552" –

(a) "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of Food Storage Godowns in NE Region by State Governments" – Rs.406.00 lakhs;

(b) "Civil Supplies - Other Expenditure - Scheme relating to strengthening Public Distribution System" – Rs.173.00 lakhs; and

(c) "Civil Supplies - Other Grants – Evaluation, Monitoring and Research in Foodgrains Management and Strengthening of Public Distribution System" – Rs.710.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2408" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Food" –

(a) "Direction and Administration - Directorate of Sugar" – saving of Rs.128.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.506.70 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(ख) ''खाद्य आर्थिक सहायता - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से वितरण के लिए आयातित खाद्य तेलों के लिए आर्थिक सहायता'' - 186.67 लाख रु. की बचत (20000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से आर्थिक सहायता संबंधी दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''चीनी का सुरक्षित भंडार बनाए रखने के लिए आर्थिक सहायता'' - 17605.99 लाख रु. की बचत (30000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूरे प्रस्ताव प्राप्त न होने और मिलों द्वारा लेवी चीनी के आबंटित कोटे की पूर्ति न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''चीनी उद्योग के विकास के लिए सहायता अनुदान'' - 188.39 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदानग्राही संस्था द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं और प्रलेखीकरण पूरा किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(iii) ''निर्यात पोतारोहण पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति तथा अन्य अनुमेय दावों की अदायगी'' - 1500.00 लाख रु. की बचत (30000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''भंडारण और भांडागार - अनुसंधान और मूल्यांकन'' -

(क) ''भारतीय अनाज प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान'' - 170.96 लाख रु. की बचत (684.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''गुणता नियंत्रण कक्ष'' - 193.40 लाख रु. की बचत (918.08 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, अदायगी चुकाए जाने और

(b) "Food Subsidies – Subsidy for imported Edible Oils for Distribution through States/ UTs Governments" – saving of Rs.186.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20000.00 lakhs) was due to non-receipt of claims for subsidy from Public Sector Undertakings.

(c) "Other Expenditure" –

(i) "Subsidy for maintenance of Buffer Stocks of Sugar" – saving of Rs.17605.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30000.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals and withholding of claims owing to non-supply of allocated quota of levy sugar by mills.

(ii) "Grants-in-aid for Development of Sugar Industry" – saving of Rs.188.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to delay in completion of the required formalities and documentations by the Grantee Institution.

(iii) "Reimbursement of Internal Transport and freight charges to sugar factories on export shipments and payments of other permissible claims" – saving of Rs.1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30000.00 lakhs) was due to economy measures.

(B) "Storage and Warehousing - Research and Evaluation" –

(a) "Indian Grain Management and Research Institute" – saving of Rs.170.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.684.50 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(b) "Quality Control Cell" – saving of Rs.193.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.918.08 lakhs) was due to

अधिशेष कर्मचारियों को पुन: परिनियोजित किए जाने के लिए उपभोक्ता मामले संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम आदेशों के प्राप्त न होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

non-filling up of vacant posts, non-receipt of Modified Assured Career Progression Scheme orders to clear payments & redeployment of surplus staffs and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "3456" - "अन्य व्यय - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित स्कीम" के अंतर्गत 1200.11 लाख रु. की बचत (3110.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आधारभूत सर्वेक्षण शुरू न किए जाने की वजह से राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद से रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3456" – "Other Expenditure – Scheme relating to Strengthening Public Distribution System" – saving of Rs.1200.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3110.00 lakhs) was due to non-receipt of reports from National Council of Applied Economic Research owing to non-taking up of baseline survey.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति - अन्य अनुदान - खाद्यान्न प्रबंधन में मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण स्कीम का सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत 460.14 लाख रु. की बचत (1770.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Civil Supplies – Other Grants – Evaluation, Monitoring and Research in Foodgrains Management and Strengthening Public Distribution Scheme" – saving of Rs.460.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1770.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति - अन्य अनुदान - खाद्यान्न प्रबंधन में मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण स्कीम का सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत 440.00 लाख रु. की बचत (720.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(V) Under Major Head "3602" – "Grants for Central Plan Schemes – Civil Supplies – Other Grants – Evaluation, Monitoring and Research in Food Grain Management and Strengthening Public Distribution Scheme" – saving of Rs.440.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.720.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilisation certificate and receipt of less proposals from the State/Union Territory Governments.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत 184.67 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत से 72 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under three heads savings of Rs.184.67 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 16 percent to 72 percent of the total sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (17903.12 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - खाद्य आर्थिक

3.(I) The above savings were partly (Rs.17903.12 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported

सहायता'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2009 में 366082.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''खाद्यान्नों के लेनदेन पर भारतीय खाद्य निगम और अन्यों को देय आर्थिक सहायता'' - 15572.12 लाख रु.।

(खा) ''खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति पर राज्य सरकार को आर्थिक सहायता'' - 2331.00 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2408'' - ''भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - राज्य सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं'' - 406.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (18.84 लाख रु.) 12.67 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.366082.00 lakhs in December, 2009 under Major Head "2408" – "Food - Food Subsidies" – under the following heads:-

(A) "Subsidy payable to Food Corporation of India and others on food grains transactions" – Rs.15572.12 lakhs.

(B) "Subsidy to State Government on decentralised procurement of foodgrains" – Rs.2331.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2408" – "Storage and Warehousing-Other Expenditure - Construction of Food Storage godowns in NE region by State Governments" – excess of Rs.406.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. In the capital section of the grant, the amount surrendered (Rs.18.84 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.12.67 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष ''4408'' खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4408" Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	931.00	2539.16	2546.33	+7.17
पू.	S.	233.00			
पु.	R.	1375.16			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	1200.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1200.00			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	72824.00			
पू.	S.	15000.00	87630.00	87630.00	. .
पु.	R.	–194.00			

(I) 1201.00 लाख रु. का प्रावधान (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 1200.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "भंडारण एवं भांडागार - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.1201.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2010) remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.1200.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" – "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and Other Undertaking - Food Corporation of India" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "6860" - "चीनी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लि." - 194.00 लाख रु. की बचत (324.00) न्यायिक मामले और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लि. के 91 प्रशिक्षणार्थियों को छंटनी प्रतिपूर्ति की अदायगी संबंधी प्रावधान को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "6860" – "Sugar - Loans to Public Sector and Other Undertakings"– savings occurred under the following heads:-

(A) "Hindustan Vegetable Oils Corporation Ltd. (HVOC)" – saving of Rs.194.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.324.00 lakhs) was due to non-finalisation of court-case and provision for payment of retrenchment compensation to the 91 trainees of Hindustan Vegetable Oils Corporation Ltd.

(खा) ''अल्कोहल से निर्जलीय अल्कोहल या इथनाल के उत्पादन के लिए चीनी कारखाने'' - 1000.00 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इथनाल के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (733.50 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''4408'' - ''भंडारण और भांडागार - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय खाद्य निगम'' के अंतर्गत मार्च, 2010 में 233.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 734.00 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4408'' - ''भंडारण और भांडागार - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य भंडारण गोदाम का निर्माण'' - 675.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''6860'' - ''चीनी - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - गन्ना विकास के लिए चीनी मिलें'' - 1000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 12500.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 15000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अल्पावधि ऋण स्कीमों के अंतर्गत अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

6. *चीनी विकास निधि:-*

चीनी विकास निधि, 1982 (संक्षिप्त रूप में एसडीएफ अधिनियम) की स्थापना चीनी कारखानों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के साथ-साथ गन्ना विकास तथा अनुदान उपलब्ध कराकर चीनी उद्योग के विकास को परिलक्षित करते हुए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रियायती दरों पर कर्जों के माध्यम से

(B) "Sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol" – saving of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to requirement of less funds for Ethanol.

5.(I) The above savings were partly (Rs.733.50 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.233.00 lakhs in March, 2010 under Major Head "4408" – "Storage and Warehousing – Investments in Public Sector and Other Undertakings - Food Corporation of India". Actual excess, however, was Rs.734.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "4408" – "Storage and Warehousing - Other Expenditure - Construction of food storage godown in North Eastern region by FCI" – excess of Rs.675.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "6860" – "Sugar – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Sugar Mills for Cane Development" – excess of Rs.1000.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs including supplementary grant of Rs.12500.00 lakhs obtained in December, 2009) was due to requirement of additional funds for payment under short term loan schemes.

6. *Sugar Development Fund:-*

Sugar Development Fund, 1982 (briefly the SDF Act) was created for the purpose of rendering financial assistance through loans at concessional rates for rehabilitation and modernisation of sugar factories as well as for

वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से किया गया था। इस निधि का उपयोग चीनी की कीमत में स्थायित्व रखने के लिए बफर स्टाक को बनाने और उसके रख-रखाव के उद्देश्य पर होने वाले व्यय को चुकाने के लिए भी किया जाएगा।

sugarcane development and for encouraging research aimed at development of sugar industry by making grant. The fund shall also be applied for defraying expenditure for the purpose of building up and maintenance of buffer stock of sugar with a view to establishing price of sugar.

चीनी उपकर नियम, 1982 (जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था) में चीनी कारखानों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लेखाकरण रिपोर्टों और विवरणियों के तरीके, लेखों का रख-रखाव आदि का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत उगाही गई और वसूली गई उत्पाद शुल्क की आय के बराबर की राशि, केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित वसूली लागत द्वारा घटाई गई, चीनी विकास अधिनियम, 1982 के खंड 3 के अधीन स्थापित चीनी विकास निधि में जमा की जाएगी।

The Sugar Cess Rules, 1982 (which were made under the Act) provide for the manner of accounting reports and returns to be furnished by sugar factories, maintenance of accounts etc. An amount equivalent to the proceeds of the duty of excise levied and collected under the Act, reduced by the Cost of collection as determined by the Central Governments, shall be credited to the Sugar Development Fund formed under Section 3 of the Sugar Development Act, 1982.

वर्ष 2009-2010 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2009-2010 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1120,50,68
प्राप्तियां	Receipts	604,99,87
अदायगियां	Payments	1670,60,21
अंतशेष	Closing Balance	54,90,34